F.No. CD-11011/01/2023-Coord. Government of India Ministry of Road Transport & Highways (Coordination Section) Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 23rd July, 2024

## OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of June, 2024.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of June, 2024 is enclosed herewith for information.

Deficitor

(R.V.C.Sridhar) Under Secretary to the Govt. of India Ph.No- 011-23739074

Encl. As above

То

- 1. All Hon'ble members of the Council of the Ministers, Government of India.
- 2. Vice Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
- 3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
- 4. Director Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi
- 5. All Secretaries to Government of India
- 6. Secretary to the President of India, New Delhi
- 7. Secretary to the Vice President of India, New Delhi
- 8. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

## Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of June, 2024.

1. <u>Award and Construction of National Highways</u>: The award figure is 95 km during the month of June. The Ministry has constructed 1,934 km of National Highways up to June in 2024-25.

2. <u>Capital Expenditure</u>: Ministry has incurred Capex of about Rs. 60,461 Crore (on release basis) till June, 2024, which accounts for about 44.42% of Capital Outlay under Vote on Account provision for first five months of 2024-25.

3. <u>Inclusion of L2-5 as a new vehicle category</u>: Ministry vide GSR 354(E) dated 26th June 2024 has included 'L2-5' as a new category of vehicle in Central Motor Vehicles Rules, 1989. The purpose behind this regulation is to create innovative E-mobility solution in which a two wheeled motor vehicle can run separately as well as can be coupled to a rear module to form a three wheeler. Further, it will provide more opportunity to three wheeled auto rickshaw owner to utilize the two-wheeler for commercial purposes namely viz. taxi aggregator, home delivery services, e-commerce, etc. It will also enable existing three wheeler owners to own a two wheeler for their commercial as well as personal use while allowing them flexibility to optimize the benefits.

4. <u>Advisory on improving coverage of motor third party insurance under Motor Vehicles</u> <u>Act, 1988</u>: Motor third party insurance is a mandatory requirement under the Motor Vehicles Act, 1988, for plying of vehicles in the country. This Ministry, vide letter dated 10<sup>th</sup> June, 2024, has issued an advisory to all the States and Union Territories for complete coverage of motor third party insurance among all motor vehicles, considering the legal mandate of section 146 of MV Act, 1988.

5. <u>Advisory on Technological interventions for ensuring compliance with Motor Vehicles</u> <u>Act, 1988</u>: To ensure compliance with the provisions of MV Act, 1988, this Ministry vide letter dated 10<sup>th</sup> June, 2024 has issued an advisory to all the States and Union Territories for additional technological intervention and to undertake the following measures to improve enforcement of statutory provisions:-

(i) Implementation of the e-Detection module developed by National Informatics Centre (NIC) under guidance of MoRTH which utilizes the information collected from toll plazas and automatically issues e-Challans to vehicles which are non-compliant from the perspective of tax, fitness, insurance, PUC, permit, non-use, etc. This module is presently functional in the States of Odisha and Chhattisgarh, where it has delivered positive results.

(ii) Promoting the adoption of HSRP and installation of Automatic Number Plate Recognition (ANPR) cameras at strategic locations viz. major traffic intersections, retail fuel outlets, parking spaces, entry / exit points of cities, etc. Back end integration of such cameras with Vahan will not only capture details of vehicles which are non-compliant with MV Act, but also improve road safety and traffic management. (iii) The integration of various initiatives under the Smart Cities Mission or similar initiatives by States / UTs with related application of Vahan and Sarathi may also be explored.

6. International Workshop on Global Navigation Satellite System Based Tolling: To provide seamless and barrier-free tolling experience on National Highways, Indian Highways Management Company Limited (IHMCL), a company promoted by NHAI organised a day-long international workshop in New Delhi on 'Global Navigation Satellite System (GNSS) based Electronic Toll Collection in India'. The international workshop provided a unique platform to both industry and global experts to deliberate various aspects related to smooth implementation of the free-flow tolling system based on GNSS technology in India. Learnings were presented in the concluding session chaired by Hon'ble Minister of Road Transport & Highways.

7. <u>Land Acquisition</u>: A total of 67 Land Acquisition Notifications were issued and Land Acquisition compensation of approximately Rs.568.68 crore was processed through Bhoomi Rashi-PFMS by this Ministry.

8. <u>Standing Finance Committee (SFC) Meetings</u>: In the month of June, 2024, 02 projects of length 34.65 km with total capital cost of Rs.1856.71 crore were recommended by the Committee for approval.

\*\*\*\*\*

## 1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## विषयः <u>मंत्रिमंडल के लिए जून , 2024 माह का मासिक सारांश</u>।

1. राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण: जून माह के दौरान 95 किलोमीटर का कार्य सौंपा गया है। मंत्रालय ने 2024-25 में जून तक 1,934 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है।

2. पूंजीगत व्यय: मंत्रालय ने जून, 2024 तक लगभग 60,461 करोड़ रुपये (निर्मुक्ति के आधार पर) का पूंजीगत व्यय किया है, जो 2024-25 के पहले पाँच महीनों के लिए लेखानुदान प्रावधान के तहत पूंजीगत परिव्यय का लगभग 44.42% है।

3. एल2-5 को एक नए वाहन श्रेणी के रूप में शामिल करना: मंत्रालय ने 26 जून 2024 के सा.का.नि. 354(अ) के तहत केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में वाहन की एक नई श्रेणी के रूप में 'एल2-5' को शामिल किया है। इस विनियमन के पीछे उद्देश्य उन्नत ई-मोबिलिटी समाधान तैयार करना है, जिसमें एक दो पहिया मोटर वाहन अलग से चल सकता है और साथ ही इसे पीछे के मॉइयूल से जोड़कर तीन पहिया वाहन बनाया जा सकता है। इसके अलावा, यह तीन पहिया ऑटो रिक्शा मालिकों को दोपहिया वाहन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों जैसे टैक्सी एग्रीगेटर, होम डिलीवरी सेवाएं, ई-कॉमर्स आदि के लिए करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। यह मौजूदा तीन पहिया वाहन मालिकों को अपने वाणिज्यिक के साथ-साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए दोपहिया वाहन रखने में सक्षम बनाएगा, साथ ही उन्हें अधिक लाभ उठाने की सुविधा भी प्रदान करेगा।

4. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर का तृतीय पक्ष बीमा के कवरेज में सुधार पर सलाह: देश में वाहन चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत वाहन का तृतीय पक्ष बीमा एक अनिवार्य अपेक्षा है। इस मंत्रालय ने 10 जून, 2024 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के कानूनी अधिदेश पर विचार करते हुए सभी मोटर वाहनों के लिए मोटर थई पार्टी बीमा के पूर्ण कवरेज के लिए एक सलाह जारी की है।

5. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपायों पर सलाह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय ने 10 जून, 2024 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त तकनीकी उपायों के लिए और वैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय करने के लिए एक सलाह जारी की है:- (i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) द्वारा विकसित ई-डिटेक्शन मॉइयूल का कार्यान्वयन, जो टोल प्लाजा से एकत्रित जानकारी का उपयोग करता है और कर, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, परमिट, अनुपयोगी आदि के दृष्टिकोण से अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों को स्वचालित रूप से ई-चालान जारी करता है। यह मॉड्यूल वर्तमान में ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में कार्यात्मक है, जहां इसने सकारात्मक परिणाम दिए हैं।

(ii) एचएसआरपी को अपनाने और महत्तवपूर्ण स्थानों जैसे प्रमुख यातायात चौराहों, खुदरा ईंधन विक्रय केन्दों, पार्किंग स्थलों, शहरों के प्रवेश / निकास बिंदुओं आदि पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों की स्थापना को बढ़ावा देना। वाहन के साथ ऐसे कैमरों का बैक एंड एकीकरण न केवल उन वाहनों का विवरण कैप्चर करेगा जो एमवी अधिनियम का अनुपालन नहीं करते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में भी सुधार होगा।

(iii) स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत विभिन्न पहलों या राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसी तरह की पहलों को वाहन और सारथी के संबंधित अनुप्रयोग के साथ एकीकृत करने पर भी विचार किया जा सकता है।

6. वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला: राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और बाधा-मुक्त टोलिंग अनुभव प्रदान करने के लिए, एनएचएआई द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आयएचएमसीएल), ने नई दिल्ली में 'भारत में वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह' पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला ने उद्योग और वैश्विक विशेषज्ञों दोनों को भारत में जीएनएसएस तकनीक पर आधारित फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम के सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में समापन सत्र में सीख/अनुभव प्रस्तुत किया गया।

7. भूमि अधिग्रहण: कुल 67 भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं जारी की गईं और इस मंत्रालय द्वारा भूमि राशि-पीएफएमएस के माध्यम से लगभग 568.68 करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण मुआवजें पर कार्रवाई की गई ।

8. स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें: जून, 2024 माह में, 1856.71 करोड़ रुपये की कुल पूंजी गत लागत वाली 34.65 किलोमीटर लंबाई की 02 परियोजनाओं को समिति द्वारा अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया।

\*\*\*\*